Important Information

As per the CBSE guidelines, it is compulsory that the date of birth certificate of the candidate must be issued by the municipal authority. It must be in English or Bi-lingual with correct spelling of the candidate and parents. No correction will be accepted afterwards. Kindly do the needful and be prepared with the correct date of birth certificate.

महत्वपूर्ण सूचना

सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि उम्मीदवार का जन्म प्रमाण पत्र नगरपालिका / नगर निगम / नगर परिषद् द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए एवं उम्मीदवार एवं माता पिता का नाम मुख्य रूप से अंग्रेजी अथवा अग्रेजी सिहत दो भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए । भविष्य में कोई सुधार स्वीकार नहीं किया जाएगा । कृपया आवश्यक रूप से अग्रिम कार्यवाही कर के रखे और प्रवेश के लिए सही प्रमाणपत्र के साथ तैयार रहें ।